

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड

बनाम

कंकुबाई वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा

प्रार्थना-पत्र (रे0वि0)

नं0

105

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी कंपनी अमित नाहर हाजिर। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस बाबत कार्यवाही विद्धो को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस बाबत कार्यवाही विद्धो का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलना चाहती है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्धोल में खारीज किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-ह0- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 08.04.2025</p> 	